



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

• 8 •

901065

2. यह कि प्रस्तावित काम्प्लेक्स का निर्माण द्वितीयपक्ष अपने स्वयं के खर्च से करायेगा तथा प्रथमपक्ष निवेश में अपनी उपरोक्त समस्त भूमि देगी और निर्माण में कोई व्यय नहीं करेगी।

3. यह कि प्रस्तावित काम्प्लेक्स का निर्माण द्वितीयपक्ष अपने निष्पक्ष व देखरेख व अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों व इंजीनियरों, व ड्राफ्ट्समैन द्वारा निर्मित करायेगा।

